फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी मुकाम - जहाजपुर (शाहपुरा)

भँवर लाल पिता बरदा मीणा नि. रतनपुरा

बनाम

रामस्वरुप मीणा पिता कल्याण मीणा नि. रतनपुरा वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111. 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 436/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म कि तामील में जारी हुये
28/05/2024	प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल / संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम नवरतनपुरा प. ह. गाँगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1870/3, 941/2 कुल किता 02 रकबा 0.9712 हैक्टेयर** व **आ. न. 1879 कुल किता 01 रकबा 0.0.356 हैक्टेयर, आ. न. 1883,1884 कुल किता 02 रकबा 1.2626 हैक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडीसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक / प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम नवरतनपुरा प. ह. गाँगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1870/3, 941/2 कुल किता 02 रकबा 0.9712 हैक्टेयर** व **आ. न. 1879 कुल किता 01 रकबा 0.0.356 हैक्टेयर, आ. न. 1883,1884 कुल किता 02 रकबा 1.2626 हैक्टेयर** की उमय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मोके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांकः-28/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी** **जहाजपुर (शाहपुरा)**	

Scanned with CamScanner

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/ रीडर / 2024 /436/2024 दिनांक :-28/05/2024

निमित

तहसीलदार जहाजपुर

विषय प्र. स.......436........ /24 अनवान भँवर लाल पिता बरदा मीणा नि. रतनपुरा बनाम रामस्वरुप पिता कल्याण मीणा नि. रतनपुरा, बाबु लाल पिता कल्याण मीणा नि. रतनपुरा, मथरा लाल पिता सकराम मीणा नि. रतनपुरा, मोहन लाल पिता सकराम मीणा नि. रतनपुरा,कान्ता पत्नि बाबु लाल मीणा नि. रतनपुरा रामराज पिता लखमा मीणा नि. रतनपुरा, लाला पिता सोराम मीणा नि. रतनपुरा बंशी पिता राजू मीणा नि. रतनपुरा, बाबु पिता जयराम मीणा नि. रतनपुरा, सोजी पिता हरनाथ मीणा नि. रतनपुरा, केसर पत्नि रोडु मीणा नि. रतनपुरा, जगदीश पिता बालु मीणा नि. रतनपुरा, रामकुवार पिता रामकिशन मीणा नि. रतनपुरा वगैराह की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में **ग्राम नवरतनपुरा प. ह. गाँगीथला तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1870/3, 941/2 कुल किता 02 रकबा 0.9712 हैक्टेयर** व **आ. न. 1879 कुल किता 01 रकबा 0.0.356 हैक्टेयर, आ. न. 1883,1884 कुल किता 02 रकबा 1.2626 हैक्टेयर** है तथा भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक कुराडिया को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

Scanned with CamScanner